तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
२३.०१.२५	पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन करने पर निर्णय संक्षिप्त में निम्न प्रकार है– **प्रार्थना पत्र संख्या 49/2024** **दायरा दिनांक 20.06.2024** **बउनवान बाबूलाल वगै0 बनाम बजरंगलाल वगै0** **निर्णय** संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिगण ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत् प्रस्तुत कर कथन किया कि जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 के खतौनी संख्या नया 65 खसरा संख्या 296/1 रकबा 0.82है0, खसरा संख्या 306/1 रकबा 0.20है0, खसरा संख्या 404 रकबा 0.31है0, खसरा संख्या 405 रकबा 0.18है0, खसरा संख्या 450 रकबा 0.86है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.37है0 जिसका रिकॉर्डेड खातेदार प्रार्थी है। अप्रार्थिगण प्रार्थी की भूमि के आसपास की भूमियां किराये पर ली हुई है जिन पर किराया अदा कर काश्तकारी करते है। अप्रार्थी ताकत के बल पर उक्त भूमि में जबरन कब्जा करना चाहते है। प्रार्थी को अपने अधिकारो की सुरक्षा हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। अन्त में निवेदन किया कि अप्रार्थिगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वाद विषयक आराजी के किसी भी भाग पर जबरन कब्जा नहीं करें व प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में दखल अंदाजी नहीं करें। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जर्ये नोटिस अप्रार्थिगण को तलबकर किया गया। अप्रार्थी सं 2 अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी सं 1 के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में अनुपस्थित रहकर जवाब पेश नहीं करने से उनका जवाब बंद कर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए अप्रार्थिगण को मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र में चाहे अनुतोष अनुसार जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपस्थित राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 खतौनी संख्या 65 अनुसार प्रार्थी वाद विषयक आराजी ग्राम खाकटा तहसील इन्द्रगढ़ का खातेदार है। यहां प्रार्थी द्वारा अप्रार्थिगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183,188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया गया है। यहां ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि एक तरफ तो प्रार्थना पत्र में प्रार्थी यह तथ्य अंकित करता है प्रार्थी वाद विषयक आराजी पर शांति पूर्वक काबिज काश्त कर रहा है तथा इसके विपरित वह प्रस्तुत वाद में अप्रार्थिगण के विरूद्ध बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाह रहा है। प्रार्थी द्वारा वाद विषयक भूमि पर कब्जे संबंधी कोई दस्तावेज पत्रावली मे प्रस्तुत नहीं किए है। प्रार्थी को वाद विषयक भूमि के संबंध में अनुतोष मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही दिया जाना उचित प्रतीत होता है। हम प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार करना उचित नहीं समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना विरूद्ध अप्रार्थिगण बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर प्रार्थना पत्र पत्रावली बाद पूर्ति संलग्न मूल वाद रहे। यह निर्णय आज दिनांक २३ .01.2025 सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी) उपखण्ड अधिकारी लाखेरी(बून्दी)	